# फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री छगनलाल
बनाम
विपक्षी : श्री उंकारलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम
पत्रावली संख्या : 45/24

क्रमांक

## कार्यवाही विवरण

दिनांक : 24.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दस्तावेज पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि होकर उक्त भूमि पूर्व मे मेरे पिता तोलीराम ब्राह्मण के नाम दर्ज थी जिनके निधन उपरान्त उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण हुआ जिसमें सहवन से मुझ प्रार्थी का नाम छगनलाल के स्थान पर शांतिलाल अंकित कर दिया गया जो गलत है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम राजकीय दस्तावेज में छगनलाल है। मेरे समस्त दस्तावेजो मे मुझ प्रार्थी का नाम छगनलाल ही अंकित है जिससे प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा अपना नाम शांतिलाल के स्थान पर छगनलाल संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता सं. 710 में प्रार्थी का नाम शान्तिलाल पिता तोलीराम ब्राह्मण दर्ज किया हुआ है कि विरासत के समय दर्ज किया गया था किन्तु प्रार्थी के दस्तावेजों में वास्तविक नाम छगनलाल पिता तोलीराम दर्ज है तथा लोगों द्वारा भी बताया गया कि उक्त दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है तथा सही नाम छगनलाल पिता तोलीराम है।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि हमारे पिता तोलीराम ब्राह्मण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिनके निधन उपरान्त विरासत के नामान्तरण के समय सहवन से मेरे भाई छगनलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में शांतिलाल अंकित हो गया जो गलत है मेरे भाई का सही एवं वास्तविक नाम छगनलाल है उसके सभी दस्तावेजो में उसका नाम छगनलाल ही अंकित हैं। प्रार्थी छगनलाल एवं शांतिलाल दोनो एक ही व्यक्ति है जिसे शांतिलाल के स्थान पर छगनलाल किया जाता है तो मुझ विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम छगनलाल पिता तोलीराम अंकित हैं जिसे तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भी बताया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई।

अतः उपरोक्त विवेचन तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 710 में प्रार्थी का नाम शांतिलाल पुत्र तोलीराम जाति ब्राह्मण के स्थान पर छगनलाल पुत्र तोलीराम जाति ब्राह्मण संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल समाप्त होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:21 IST
Reason: SelfAttested